

संख्या: 29 | सरकारी नौकरियों के लिए | BANARSI | MAHARASHTRA

संख्या	29	संख्या	101
वर्ग	29	वर्ग	101

अनुसूची नं. 29  
 अंश 101

वर्ग	संख्या	वर्ष			कुल
		1 वा वर्ष	2 वा वर्ष	3 वा वर्ष	
नाल	6.00				6.00
गुजारी	1.50				1.50
सेस	3.00				3.00
स्ट	3.00				3.00
नुत्फरकाल	1.20				1.20
मीजान	14.70				14.70

वर्ग	संख्या	वर्ष			कुल
		1 वा वर्ष	2 वा वर्ष	3 वा वर्ष	
नाल	6.00				6.00
गुजारी	1.50				1.50
सेस	3.00				3.00
स्ट	3.00				3.00
नुत्फरकाल	1.20				1.20
मीजान	14.70				14.70

(1) मीजान कुल (संख्या में) : **Fourteen Rupees and Seventy Paise**  
 (2) नाम देहिनदा  
 (3) कुल वकालत - 14.70



यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति है।  
 यह प्रत्येक वर्ष प्रार्थी की जानकारी के लिए है।  
 किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अधिकारियों से संपर्क करें।

दो गज की दूरी का रखो ध्यान यही है कोरोना का समाधान ।

तारीख अमला तहसील कुनिन्दा : 24-11-2020

उस महत्व का वकालत मातगुजारी पर (सिवाय ऐसे वकालत पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) मुद्र नहीं किया जाता है।

# SARAIKELA NAGAR PANCHAYAT, SARAIKELA


## HOLDING TAX RECEIPT

Receipt No. 991528241120120307  
 Department / Section : Revenue Section  
 Account Description : Holding Tax & Others  
 Date : 24-11-2020  
 Ward No : 13  
 Holding No. : 00300060501009M9

Name : banamal mahato  
 S/O.- MITHU MAHAATO  
 Address : near sishu mandir school, SARAIKELA, SARAIKELLA KIARSAWAH - 833219  
 MOB : 7488275324  
 A Sum of Rs. 95.00 (in words) **Ninety-Five Only**  
 towards Holding Tax & Others vide Cash  
 Dated : ..... Drawn on ..... Place Of The Bank. ....

N B Online Payment: Cheque/Draft/ Bankers Cheque are Subject to realisation

Account Description	Period	Amount
Holding Tax Arrear	2020-2021 / 1	0.00
Holding Tax Current	2020-2021 / 4	96.00
<b>Total</b>		<b>96.00</b>
<b>Additional Tax</b>		<b>0.00</b>
<b>Penalty / Interest Amount</b>		<b>2.00</b>
<b>Rebate on current Demand</b>		<b>2.40</b>
<b>Adjust amount</b>		<b>1.00</b>
<b>Amount Received</b>		<b>95.00</b>
<b>Advance Amount</b>		<b>0.00</b>



Signature of Tax Collector

**Note:-**  
 \* This is a QR paper generated Receipt. This receipt does not require physical signature.  
 \* Avail 5% rebate yearly Holding tax amount by paying the tax before 30th june of the Financial Year.  
 \* Withheld profits are 2 to land right  
 \* For Details Please Visit : www.officialpanchayat.gov.in  
 \* Call us at 199, 242241 or 0651-6992541  
 In Collaboration With  
 Sparrow Software Pvt. Ltd.  
 H-117, Harnam Hardware Colony, Saraikeela  
 Chowk, Ranchi

## SARAIKELA NAGAR PANCHAYAT

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 581378241120115821

Date : 24-11-2020

प्रभावी : 2 2019-2020

गो/श्रीमती/सुश्री : banamali mahato S/O MITHU MAHATO,  
गोहल्ला : near sishu mandir school SERAIKELA  
SERAIKELLA KHARSAWAN , 833219  
'488275324

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं० - 0030000501000M0 वार्ड सं० 3 हुआ है, आपके स्व० निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु० निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं०	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	24.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		24.00



To be signed by the Applicant

- नोट:-
1. कर निर्धारण की सूची, SARAIKELA NAGAR PANCHAYAT Website, [www.jharkhandsuda.net](http://www.jharkhandsuda.net) पर प्रदर्शित है।
  2. नियमावली कोडिका 11.4 के आलीक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा।
  3. हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पाये।
  4. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
  5. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
  6. किसी देय घृति को निर्दिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
  7. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण -सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच तथा समय निगम करा सकती है एवं तथा गलत पाए जाने पर नियमावली कडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।